उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2016 की भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण के सम्बन्ध में प्रकिया

संख्याःपीआरपीबी–एक–2(कारा0वि0)/2018 दिनांकःमार्च 10, 2021

1– "उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–15(3)(क) उपनियम (2) में उल्लिखित है कि "लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय अपने स्तर से करेगा।"

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली–2016 जिसके प्रस्तर–15(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया में उल्लिखित है कि "फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रकिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।" उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–15(3) में प्रावधान है कि "लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षण में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जायेगी।"

2– यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् हैः–

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होगा।
(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक।
(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

3– अभिलेखों की संवीक्षा समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन–पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

4– अभिलेखों के मिलान के दौरान, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, बोर्ड निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अन्तिम माने जायेंगे।

5– अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।

6– अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगेः–

1– पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–

(क)–ऊॅचाईः

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊॅचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख)–सीनाः

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेन्टीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणीः न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–

(क)–ऊँचाईः

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख)–वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।

7– अभिलेखों की संवीक्षा समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

8– कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अभिलेखों की संवीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर निर्धारित परीक्षण केन्द्र पर उपस्थित हों।

10– अभिलेखों की संवीक्षा हेतु यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु सम्बन्धित जनपद में गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक व समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनः अवधारित दिनांक व समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षण में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद किया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

11– परीक्षण में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो हो, पुनः परीक्षण के लिये अपील नहीं की जा सकेगी।

12– अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम पत्रक पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित किये जाने के लिये हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे, तत्पश्चात समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर परिणाम घोषित किया जायेगा।

10/8/21

अपर सचिव (भर्ती),
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।